

फर्द अहकाम




(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
नारणाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट, निवासी पनावड़ा, तहसील बायतू हाल निवासी मूढणों की ढाणी (उण्डू) तहसील शिव, जिला बाड़मेर		करनाराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट, निवासी सवाउ पदमसिंह (गिड़ा) हाल निवासी नया उण्डू (राजबेरा) तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (4)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (धारा 188, 209)

मुकदमा नम्बर 170/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.12.2021	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के वकील श्री हरिराम चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 06.12.21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर (SDO) शिव </p>	<p>प्रतिवादी सी. 1 से 3 की ओर से अपुरटेकिंग की गई।  06.12.2021</p>
06.12.21	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगण के तामिल-सुदा नोटिस पेश किये, जिसे शामिल पत्रावली किता गंथा। प्रतिवादी संबंध 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता नरेन्द्रसिंह सिपाण द्वारा अपुरटेकिंग ली गई पत्रावली वास्ते वकालतवाला हेतु आईन्दा दिनांक 10.12.21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर (SDO) शिव </p>	
10.12.21	<p>पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इत्तया होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 22.12.21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">✕</p>	



तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
अहकाम जो
हुकम की ताक
में जारी हुए

27. 4. 26

पत्रावली पेश / वाकुभाय अनुपरिधत /
पत्रावली में उभावी पैरवी हेतु न्यायालय
समय में उभाग्रपक्ष व अधिवक्तागण को
रुक - रुककर आवाजे दी जाने के बावजूद
कोर्ट में उपरिधत नहीं। अतः पत्रावली में
उभावी पैरवी नहीं होने तथा अनुपरिधत
रहने पर अफम हाजरी व अफम पैरवी
में खारिज की जाती है।
पत्रावली नंबर से कम होकर दारिखल
दफतर हो।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)